भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/98/2016/एफ.सी. 622

दिनॉक: 10/4/18

सेवा में,

नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO- FP/UP/TRANS/18575/2016

विषय : 400 के0वी0 डबल सर्किट लखनऊ–कानपुर (भाग–1) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु लखनऊ में प्रभावित 0.286 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 17 वृक्षों के पातन तथा हरदोई में प्रभावित 0.2806 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 35 वृक्षों के पातन कुल 0.5666 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 52 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2566/11–सी–FP/UP/TRANS/18575/2016, दिनांक– 06.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक– 814/लखनऊ–कानपुर लाईन (समेकित), दिनांक– 17.10.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 19.06.2017 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्रांक– 1304/11–सी–FP/UP/TRANS/18575/2016, दिनांक– 08.11.2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 11.12.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 के0वी0 डबल सर्किट लखनऊ–कानपुर (भाग–1) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु लखनऊ में प्रभावित 0.286 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 17 वृक्षों के पातन तथा हरदोई में प्रभावित 0.2806 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 35 वृक्षों के पातन कुल 0.5666 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 52 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात् 520 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (ROW) 46 मीटर तक सीमित रहेगा तथा बिना अनुमति के ले आउट प्लान (Layout Plan) में परिवर्तन नही किया जाएगा।

रियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार ो क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

स्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने ा कार्य नहीं किया जाएगा।

त्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

योक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल ी आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

योक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प हीं लगाया जायेगा।

त्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)

ापि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.

निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.

विशेष सचिव (वन),उत्तर प्रदेश शासन,बापू भवन, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, लखनऊ, उ0 प्र0।

प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हरदोई, उ0 प्र0।

उपप्रबन्धक (प्रा0ला0नि0), पावर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0, प्लाट संख्या–1, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एरिया, 20 कि0मी0 माइल स्टोन, लखनऊ–कुर्सी रोड, पो0–अनवारी, जिला–बाराबंकी–225302, उ0 प्र0।